रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012025-260062
CG-DL-E-09012025-260062

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946
No. 04] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर , 2024

सा.का.नि. 4(अ).— केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप नियम का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियम के संबंध में आपत्तियां और सुझाव, अपर सचिव (पौध संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल muktanand.ias08@nic.in के माध्यम से अग्रेसित किया जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का नाम कीटनाशी (पांचवा संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशक नियम, 1971 में संशोधन नियम 25 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(2) कीटनाशक निरीक्षक से प्राप्त नमूनों के परीक्षण या विश्लेषण के लिए देय शुल्क, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट होगा:

परन्तु यह कि किसानों से विशेष रूप से जैव-कीटनाशकों के नमूनों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए प्राप्त नमूनों के परीक्षण या विश्लेषण के लिए देय शुल्क, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि केंद्र सरकार किसी विशेष राज्य सरकार की वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जैसा उचित समझे, किसी ऐसी अवधि के लिए शुल्क से छूट प्रदान कर सकती है।"

3. कीटनाशक नियम, 1971 की द्वितीय अनुसूची के पैरा-2 में, निम्नलिखित प्रावधान अन्तःस्थापित किया जाएगा:

"*यह भी प्रावधान किया गया है कि किसान द्वारा निवेदित जैव-कीटनाशक के उस नमूने, जिसका सक्रिय घटक ज्ञात हो, का परीक्षण शुल्क प्रति नमूना 200 रुपये होगा।*"

[फा. सं. 13028/01/2024-पीपी-।]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650 (ई) दिनांक 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए तथा इसमें सा.का.नि. 228 (ई) दिनांक 22 मार्च, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2024

G.S.R. 4 (E). The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rule shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 or through email at muktanand.ias08@nic.in

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Fifth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, for sub-rule (2) of Rule 25, the following will be substituted:-

"(2) The fee payable for testing or analysing samples received from the Insecticides Inspector shall also be as specified in the Second Schedule:

PROVIDED that fee payable for testing or analysing samples received from the farmers specifically to ascertain the quality of bio-pesticide samples, shall also be specified in the Second Schedule.

PROVIDED FURTHER that the Central Government may, after taking into consideration the genuine difficulties, of any particular State Government, exempt from payment of the fee for such period as it may consider reasonable."

3. In the SECOND SCHEDULE of Insecticides Rules, 1971, in para-2, following provisio shall be inserted:

"*PROVIDED that the Testing fees for sample of bio-pesticide submitted by farmer whose active ingredient is known, is Rs. 200/ sample."*

[F. No. 13028/01/2024-PP-I]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was last amended vide G.S.R. 228 (E) dated 22nd March, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.09 15:17:24 +05'30'